न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 2919–एक/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–4–2014 पारित द्वारा अपर तहसीलदार टप्पा उन्हेल तहसील नागदा जिला उज्जैन म0प्र0 प्रकरण कमांक 8/अ–12/2013–14.

केलाश पिता नारायण
निवासी ग्राम आक्यानजीक तहसील नागदा,
जिला उज्जैन म0प्र0

–––––आवेदक

विरूद्ध

1. रतनसिंह पिता लालजी
   निवासी ग्राम आक्यानजीक तहसील नागदा
   जिला उज्जैन म0प्र0
2. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा राजस्व निरीक्षक
   उन्हेल तहसील नागदा जिला उज्जैन

–––––अनावेदकगण

– – – – – –

श्री अखलाल कुरैशी, अभिभाषक, आवेदक

– – – – – – –

:: आदेश पारित ::
(दिनांक 10 अगस्त 2015)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहित 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर तहसीलदार टप्पा उन्हेल तहसील नागदा जिला उज्जैन के आदेश दिनांक 16–4–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 रतनसिंह द्वारा ग्राम आक्यानजीक स्थित भूमि सर्वे कमांक 557/2/2 रकवा 0.37 हे0 के सीमांकन हेतु आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपर तहसीलदार ने प्रकरण कमांक

8/अ–12/2013–14 पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 16–4–14 के द्वारा सीमांकन की पुष्टि की गई। अपर तहसीलदार के आदेश दिनांक 16–4–14 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानीकर्ता अभिभाषक ने तर्क दिया कि निगराकार द्वारा ग्राम आक्यानजीक स्थिति भूमि रकवा 2.75 में से बरूख दक्षिण दिशा की ओर स्थित 0.80 हे0 भूमि विधिवत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 27–12–09 को क्रय की थी तब से उक्त भूमि काबिज चला आ रहा है। अनावेदक कमांक 1 रतनसिंह द्वारा भूमि सर्वे कमांक 557/2/2 रकवा 0.37 हे0 के सीमांकन हेतु आवेदन दिया जिस पर सरहदी कास्तकार होने के बावजूद भी उसे कोई सूचना नहीं दी तथा सीमांकन की पुष्टि कर 0.37 है0 पर आवेदक का अवैध कब्जा बताया। यह भी तर्क दिया कि राजस्व निरीक्षक ने फील्ड बुक नहीं बनाई तथा स्थाई निशान से सीमांकन नहीं किये जाने से सीमांकन निरस्त किया जाये।

4/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण का अवलोकन किया जिसमें निगरानी के साथ राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन एवं सीमांकन पंचनामा संलग्न है परन्तु तहसील न्यायालय के आदेश की सत्यप्रतिलिपि संलग्न नहीं जिसको आवेदक द्वारा निगरानी में चुनौती दी गई है। अपर तहसीलदार द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 16–4–14 द्वारा क्या आदेश सीमांकन के संबंध में किया, यह भी स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का सरहदी काश्तकार होकर हितबद्ध पक्षकार है इसका भी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। दर्शित परिस्थितियों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी को ग्राह्य किये जाने का कोई आधार प्रकट नहीं होने से निगरानी इसी स्तर पर निरस्त की जाती है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर